

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 21.03.2021

थाना राजपुर

दिनांक 20.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 29/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त सत्यनारायण को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 20.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 30/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम में अभियुक्त संजीव कुमार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना रसूलाबाद

दिनांक 20.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 143/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त ओमप्रकाश राठौर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना भोगनीपुर

दिनांक 20.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 110/12 धारा 13 जुआ अधि0 में अभियुक्तगण गेंदालाल आदि 04 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना अकबरपुर

दिनांक 20.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 203/21 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियुक्त हरमोहन सिंह को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना शिवली

दिनांक 20.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 93/21 धारा 363/366 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त समरबहादुर उर्फ श्यामजीत को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना गजनेर

दिनांक 20.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 400/15 धारा 323/325/504 भा0द0वि0 में वारन्टी अभियुक्त मेधू उर्फ रामप्रताप को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 20.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 184/17 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 में वारन्टी अभियुक्त अमर सिंह को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना डेरापुर

दिनांक 20.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 98/15 धारा 354/452/506 भा0द0वि0 में वारन्टी अभियुक्त विश्वनाथ को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

प्रोजेक्ट नई किरण

आज दिनांक 21.03.2021 को स्थानीय पुलिस लाइन सभागार में प्रोजेक्ट नई किरण की शुरुआत पुलिस अधीक्षक श्रीमान केशव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में की गई। नई किरण में 09 मामले आये जिनमें नई किरण के सभी सदस्यों द्वारा समझाने के बाद 01 परिवार में आपसी सुलह समझौते के आधार पर समझौता कराया गया दोनों परिवारों के पति-पत्नी खुशी-खुशी साथ-साथ रहने को तैयार हो गये शेष प्रार्थना पत्रों में आगे की तिथि दी गयी। नई किरण प्रोजेक्ट से जनपद में बिखरे हुये परिवारों में एक नई रोशनी आयेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि नई किरण प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बिखरे परिवार को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में थानाध्यक्ष रीना गौतम, म0हे0का0 227 संध्या देवी व नई किरण प्रोजेक्ट के सदस्यगण श्रीमती कंचन मिश्रा व श्री जिआउलहक, श्री रामप्रकाश सिंह आदि सदस्यगण मौजूद रहे तथा इन सभी का विशेष सहयोग रहा।